न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी :– प्रीतम कुमार आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 40/2024

प्रार्थीगणः–

1. भंवर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह राजपुरोहित,
2. हड़मान सिंह पुत्र स्व. श्री. रेवत सिंह,
3. भागीरथ सिंह पुत्र स्व. श्री रेवत सिंह,
4. जसवन्त सिंह पुत्र स्व. श्री पूनम सिंह,
5. मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री सुख सिंह, समस्त् जाति–राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम बासनी सेफा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. परबत सिंह पुत्र स्व. श्री जोग सिंह,
2. नारायण सिंह पुत्र स्व हेम सिंह, जातियान्–राजपुरोहित, निवासीयान– ग्राम बासनी सेफा तहसील व जिला जोधपुर।
3. बंशी गिरी पुत्र स्व. श्री उम्मेद गिरी, जाति–गोस्वामी, निवासी– ग्राम बासनी भाटियान तहसील औसियां जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

आदेश **दिनांक** 10/4/26

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान सिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री स्वर्णसिंह चम्पावत।
3. सरकारी पेरोकार अप्रार्थी सं. 4 की ओर से।

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी स्वामित्व एव कब्जे की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या–331, (तीन सौ इकत्तीस) रकबा 2 (दो) बीघा किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम बासनी सेफा पटवार हल्का चावण्डा तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में से अपने हिस्से में से रकबा 05 (पांच) बिस्वा पूर्व विक्रेता शैतान सिंह पुत्र स्व. भीख सिंह, भीम सिंह पुत्र स्व. भीख सिंह, निवासी बासनी सेफा से प्रार्थी के पिता देवी सिंह द्वारा खरीद की

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

गई तत्पश्चात उक्त कृषि भूमि खरीददार देवी सिंह द्वारा मुझ प्रार्थी संख्या 01 के हक में जरिये पंजीबद्ध बख्शीशनामा के हस्तांतरित की गई तत्पश्चात उक्त कृषि भूमि का जरिये नामान्तरण संख्या 405 (चार सौ पांच) दिनांक 21.01.2019 (इक्कीस जनवरी दो हजार उन्नीस) के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद है तथा इसी प्रकार उक्त कृषि भूमि के मूल खातेदार चम्पालाल पुत्र स्व. सुख सिंह, बालु सिंह पुत्र स्व. सुख सिंह,जातियान–राजपुरोहित, निवासीयान–बासनी सेफा जोधपुर द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 10 (दस) बिस्वा भूमि जरिये संयुक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा से प्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपनी खून पसीने की कमाई से कय की गई है तथा बाद खरीद राजस्व रिकार्ड में जरिये नामांतरण संख्या 406 (चार सौ छः) दिनांक 21.01.2019 (इक्कीस जनवरी दो हजार उन्नीस) प्रार्थी संख्या–01 का नाम अमल दरामद करवाया गया। इस प्रकार प्रार्थी संख्या–01 का उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में कुल रकबा 15 (पन्द्रह) बिस्वा अविभाजित हिस्सा निहित है तथा अन्य खातेदारन का पेतृक सामलाती हिस्सा निहित है जो जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2064 खाता संख्या– नया 14 एवं पुराना 18 से स्पष्ट है। जमाबन्दी एवं नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न पेश है। प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि को पेतृक/ खरीदने/बख्शीश के पश्चात से मौके पर काबिज काश्त है और उसका उपयोग व उपभोग एवं देखभाल कर रहे है। तत्पश्चात प्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि के उत्तर–पश्चिम दिशा की तरफ अपने उक्त हिस्से पर कुछ भाग में रहवास एवं बाडा बनाया गया है। प्रार्थीगण की उक्त जायदाद आम रोड पर आई हुई है जो एक तरफ ग्राम घंटियाला और दुसरी और ग्राम चावण्डा को जाती है प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में पेड पौधे एवं मेडबन्दी की हुई है तथा प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी जायदाद खसरा संख्या 331 के दक्षिण पश्चिम की तरफ खसरा संख्या 300 रकबा 9 बीघा 04 बिस्वा स्थित है जो अप्रार्थी संख्या–01 के संयुक्त खातेदारी में स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी के खसरे के उत्तर दिशा की तरफ खसरा संख्या 332 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा अप्रार्थी संख्या–03 का स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी के पूर्व दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी का खसरा संख्या 278 रकबा 3 बीघा स्थित है। प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या 331 एवं 300 के मध्य वर्षों पुरानी पेड–पौधो की माठ (मेडबन्दी) स्थित है जो वर्षों पुरानी होकर प्रार्थी के खरीद से पूर्व समय से बनी हुई है। प्रार्थी द्वारा खरीदने के पश्चात उक्त कृषि भूमि पर चारो तरफ मुटाम लगाये जाकर तारबन्दी करवाई गयी एवं कुछ भाग पर पत्थर की कच्ची दिवार बनाई हुई है। प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि का समय–समय पर देखभाल की जाकर उपयोग एवं उपभोग में लेता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने पुत्रो के साथ एकाराय हो षडयंत्र पूर्वक प्रार्थीगण की जायदाद मे अवैध प्रवेश कर उसे हडपने की नियत से दिनांक 24.05.2024 (चोईस मई दौ हजार चौईस) को उक्त बनी हुई दिवार को तोड दिया तथा प्रार्थी की जायदाद एवं उक्त अप्रार्थीगण के कृषि अराजी के मध्य स्थित पुरानी माठ एवं मुटामो को अवैध एवं मनमाने तरीके से तोडकर तथा पेड–पौधे उखाड कर हटा दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा विरोध करने पर प्रार्थी संख्या 01 एवं

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया अन्य अप्रार्थीगण द्वारा भी प्रार्थीगण की उक्त जायदाद में मन मुताबिक अतिक्रमण कर रहे है प्रार्थीगण द्वारा पुनः अतिक्रमण नही करने एवं मेडबन्दी तोडने का विरोध कर आपत्ति जताई तो उक्त अप्रार्थीगण नहीं माने एवं प्रार्थीगण की जायदाद को हडपने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है कि प्रार्थीगण द्वारा काफी समय तक निवेदन करने के बावजुद उक्त अप्रार्थी संख्या 01 व 02 खुले आम जान–माल को नुकसान पहुंचाने की धमकीया दे रहे है एवं धमकाया जा रहा है कि प्रार्थीगण की जायदाद को खुर्द–बुर्द कर हडप कर उस पर पक्का निर्माण करवा लेगे चाहे जो कर लो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता और हमारी पहुँच उपर तक है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अनेक बार समझाईश की गई लेकिन उक्त अप्रार्थीगण बाज नही आ रहे है एवं प्रार्थीगण की वादग्रस्त कृषि जायदाद पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा है। जिसकी शिकायत प्रार्थी संख्या 01 द्वारा उसी दिन दिनांक 24.05.2024 को पुलिस थाना राजीव गांधी नगर जोधपुर में पेश की गई। उक्त अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बिना सीमाज्ञान किये जोर जबरदस्ती कानून अपने हाथ में लेकर प्रार्थीगण की जायदाद में अवैधप्रवेश कर अतिक्रमण कर हडपने एवं उसे अपने खसरे में मिलाने का उन्हे कोई अधिकार नही है तथा अब मनमाफिक पक्का निर्माण करने पर उतारू है। इस प्रकार उक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के उक्त जायदाद के शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग में दखल अन्दाजी एवं बाधा पैदा की जा रही है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने उक्त कृषि अराजी का पुख्ता सीमाज्ञानध्नाप करवाया जाकर चारो तरफ पक्की पत्थरगढ्ढी करने की आवश्यकता हो गयी है जिससे फसल एवं उक्त जायदाद की सुरक्षा की जा सके। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि मे अन्य खातेदार को सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी करवाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। प्रार्थीगण की उक्त जायदाद की पक्की पत्थरगढ्ढी वास्तविक सीमांकन से नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की बेशकिमती जायदाद को हडप कर अपनी जायदाद में मिला लेंगे एवं उस पर अतिचार एवं अतिक्रमण कर लेंगे इस कारण प्रार्थीगण की उक्त जायदाद की सुरक्षार्थ राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान/ सीमांकन बन्दोबस्त विभाग से करवाया जाकर पत्थरगढ्ढी करवाये जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हो गया है प्रार्थी सीमाज्ञान व्यय वहन करने को तैयार है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। सम्बंधित दस्तावेज संलग्न प्रार्थना पत्र है। अन्य तर्क वक्त बहस अर्ज कर दिये जावेग, जो इस प्रार्थना–पत्र का अंग शूमार पढ़े जावेगे। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजी ग्राम बासनी सेफा तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है। जिससे यह आवेदन सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् न्यायालय को है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि अराजी खसरा संख्या–331, (तीन सौ इकत्तीस) रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

2 (दो) बीघा किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम बासनी सेफा पटवार हल्का चावण्डा तहसील व जिला जोधपुर का राजस्व बन्दोबस्त टीम गठित की जाकर वास्तविक मुटाम से सीमाज्ञान व नाप किया जाकर प्रार्थीगण की जायदाद के चारों तरफ पत्थरगढ्ढी करने का आदेश पुलिस सुरक्षा में करवाये जाने हेतु फरमावें एवं इस हेतु पुलिस थाना राजीव गांधी नगर को निर्देशित किया जावे। अन्य आदेश जो प्रार्थीगण के पक्ष में हो सादिर फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर अधिवक्ता स्वर्णसिंह चम्पावत ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष अप्रार्थीगण को नोटिस जरिए रजि. एडी दिनांक 06.02.2025 को पुनः आदेश दिए गए तथा दिनांक 19.03.2025 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की गई ट्रेकिंग रिपोर्ट मय डाक रसीदे के आधार पर विधिवत पूर्ण माना गया। अतः अप्रार्थी सं. 1 का जबाव पेश न करने इनका जबाव बंद किया गया एवं अप्रार्थी सं. 2 से 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् तहसीलदार जोधपुर को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार जोधपुर से पत्रांक भू.अ./2025/3873 दिनांक 05.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम बासनी सेफा के खसरा संख्या 331 ,मौके पर खसरा न. 331 व उससे संलग्न खसरा न. 330 के खातेदारों के मध्य आपसी विवाद है। मौके पर उपस्थित खातेदारों ने बताया कि खसरा न. 330 व 331 के खातेदारों के मध्य स्पष्ट सीमा न होने के कारण आपसी विवाद है। पूर्व में पटवारी द्वारा पैमाईश करने पर पड़ोसी खातेदारों ने मानने से मना कर दिया। तहसीलदार जोधपुर रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी के बिना सीमा विवाद का हल संभव नहीं है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दौहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि अराजी खसरा संख्या–331 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम बासनी सेफा पटवार हल्का चावण्डा तहसील व जिला जोधपुर का राजस्व बन्दोबस्त टीम गठित की जाकर वास्तविक मुटाम से सीमाज्ञान व नाप किया जाकर प्रार्थीगण की जायदाद के चारों तरफ पत्थरगढ्ढी करने का आदेश पुलिस सुरक्षा में करवाये जाने हेतु फरमावें एवं इस हेतु पुलिस थाना राजीव गांधी नगर को निर्देशित किया जावे। पत्रावली तथा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र व तहसीलदर जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया गया। रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी के बिना सीमा विवाद का हल संभव नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर खेत ग्राम बासनी सेफा पटवार हल्का चावण्डा तहसील व जिला जोधपुर के खेत खसरा सं. 331 रकबा 2 बीघा के सर्व प्रथम पक्षकारों को सूचित करते हुए सभी पक्षकारों की मौजूदगी में आप स्वयं मौके पर जाकर नियमानुसार सभी पक्षकारों एवं पडौसी खातेदारो की उपस्थिति में सीमांकन मय पत्थरगढ़ी कर मुटाम कायम किये जाने का आदेश

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है साथ ही तहसीलदार जोधपुर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर सीमांकन मय पत्थरगढ़ी कायम किये जाते वक्त पुलिस इमदाद की आवश्यकता नियमानुसार पुलिस इमदाद के साथ आदेश की पालना की जावे।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 10/4/26 को खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)